15 2/21

वकुलाय फरीकेन उप०/श्रीमान P.O. सहाब दीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 26/2/21 को उनके समक्ष पेश होवे

रीडर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested

[1]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा RAS

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
290/2012	6.11-2012	26-2-2021

अनुवाद

[1] वेदप्रकाश पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.) - वादी

बनाम

[1] बलवीर
[2] काबुल
[3] धन्नू
[4] रतन पुत्रान गंगाजीराम
[5] शान्ति
[6] विमला
[7] इमरती
[8] सरोज पुत्रीयान गंगाजीराम जाति माली निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
[9] राज. सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम - असल प्रतिवादीगण
[10] चमेली देवी बेवा रघुवीर
[11] सजना
[12] शान्ति पुत्रीयान रघुवीर जाति माली निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला [illegible] - तर. प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested

दावा [illegible] हुक्म इम्तनाईदवामी अं. [illegible] राज. काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित :-
[1] श्री समयसिंह यादव अभिभाषक वादी
[2] श्री सुरेन्द्र यादव अभिभाषक असल प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

वादीगण मय अधिवक्ता उप न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद उप आवेदन पेश किया कि विवादित आराजी खाता ख. नं. 1500/1-09, 1501/3-16, 1510/1-07 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम कोटकासिम मिन वादी व तर. प्रतिवादीगण व अहलकान प्रतिवादीगण को शामलात की जंगलीराम से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसका राजस्व रिकार्ड में यही रिकार्ड है। विवादित आराजीयात मुश्तरका कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर शामलात में ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जो अवर आराजी है। जिसका कानूनी रूप से बटवारा नहीं हुआ है। मुश्तरका काश्त को लेकर पक्षकारान के मध्य आये रोज तनाजा पैदा होता रहता है। जिसको कानूनी रूप से तकसीम कराने हेतु कई मर्तबा वादी को तर. प्रतिवादीगण ने अहलकान प्रतिवादीगण से कहा तो वे साफ इन्कार हो गये। और विवादित आराजीयात का बिना तकासिमा कराये ही उसमें तामीरात करने व जबरन कब्जा करने व अन्यत्र रहन बेच आदि भी रखने करने की धमकी दी है। यदि अहलकान प्रतिवादीगण। लगा. 4 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो फिर वादी व तर. प्रतिवादीगण को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। अतः अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु वादी व तर. प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात में अपना 1/10 हि. इसी तरह प्रतिवादी सं. 1 लगा. 9 का भी क्रमशः 1/10 भाग का वाके मौका सरहद बाअहदे तकसीम कर कुर्रेजात कायम कर विभाजन किया जावे और अहलकान प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। प्रतिवादी[illegible] सं. 1 लगा. 9 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश [illegible] किया जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजीयात [illegible] सं. 1 लगा. 9 व वादी व तर. प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजीयात को [illegible] से विरासतन [illegible] से हमारी पुश्तैनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

विवादित आराजी ख.नं. प्रत्येक में मृतक प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 प्रत्येक का 1/10-1/10 हिस्सा है। विवादित आराजी ख.नं. 1500 में मृतक प्रतिवादी सं. 3 पप्पू ने, ख.नं. 1501 में मृतक प्रतिवादी सं. 1 कबीर ने व ख.नं. 1510 में प्रतिवादी सं. 2 नफूल ने अपने-2 1/10 भाग के कुछ हिस्से पर पुख्ता मकानात बना रखे हैं। प्रतिवादीगण ने वादी व शेष प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं दी पर तथ्य वादी ने वाद पत्र में मिथ्या दर्ज किये है। मौका व कब्जा अनुसार प्रत्येक खाता से 1/10-1/10 हिस्सा का तकासमा कर दिया जावे। संवत वादी व शेष प्रतिवादीगण के 1/10 मृतक प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 का क्रमशः 1/10-1/10 हि. संयुक्त रखा जावे। प्रतिवादी सं. 10 ने अपने जवाब दावा में अंकित किया कि खाते से संबंधित भूमि स्टेट बैंक शाखा इन्डिया बापस्या कोटकासिम में रहन दर्ज है। रहन मुक्त होने के पश्चात ही विभाजन किया जा सकता है। बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक है। जवाबदेह वाद खारिज होना है। प्रतिवादी सं. 9 फौत हो जाने पर दिनांक 18-3.16 को वाद पत्र से नाम खारिज किया गया। मृतक प्रतिवादी सं. 9 के वारिसान वाद पत्र में रिकार्ड पर है।

सि. जैसा कोर्ट कोटकासिम में दिनांक 01-07-2016 को वाद पत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई और तहसीलदार कोटकासिम को वर्ड मौजूदा [illegible] तकासमा किये जाने के लिए आदेश जारी किया गया। तहसीलदार कोटकासिम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता [illegible] सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत विभाजन [illegible] किया जावे। शेष कहा कि मुताबिक विभाजन [illegible] डिक्री कर दिया जावे। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 का भी अपने जवाब दावा में कथन है कि वादी व शेष प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 को स्वत्व 1/10-1/10 भाग में कब्जा अनुसार दिया जावे। उपरोक्त वाद में विभाजन

लगायत

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested

[4]

अनुसार स्वीकार किया जावे। बहस पर मनन किया अतः वादीका वाद, किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीका वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस बाबत डिक्री किया जाता है कि आराजी खाता ख.नं. 1500/1 रकबा 0-15 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम में वेदप्रकाश पुत्र व चमेली पत्नि व सजना, शशीबाला पुत्रीयान रघुवीर कौम माली सा. हेड खातेदार शामिल S.B.I शाखा कोटकासिम की रहेगी। इसी प्रकार आराजी ख.नं. 1500/2 रकबा 0-14, 1501 रकबा 3-16, 1510 रकबा 1-07 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में बलबीर, कुन्दन, पप्पूराम, रतनलाल पुत्रान व शान्ति, विमला, ईश्वरी, सरोज पुत्रीयान जंगली कौम माली सा. हेड खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पक्की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा-डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीना RAS

मु.नं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
290/2012	8.11.2012	26.2.2021

अनुक्रम

[1] वेदप्रकाश पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.) - वादी

बनाम

[1] बलवीर
[2] कबूल
[3] पप्पू
[4] रतन पुत्रान जंगलीराम
[5] शांति
[6] विमला
[7] हेमवती
[8] सरोज पुत्रीयान जंगलीराम जाति माली निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
[9] राज. सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम (अलवर) - अप्रार्थीगण
[10] चमेलीदेवी बेवा रघुवीर
[11] सजना
[12] शान्ती पुत्रियान रघुवीर जाति माली नि. कोटकासिम (अलवर) राज.

दावा तकासमा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अतः वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 1500 [illegible] D-15 किस्म बारानी ग्राम कोटकासिम में वेदप्रकाश पुत्र व चमेली [illegible], शान्तीबाली पुत्रीयान रघुवीर कौम माली नि. हेड [illegible] कोटकासिम की रहेगी। इसी प्रकार खसरा नं. [illegible] 1500/2-14, 1501/3-16, 1510/1-07 बीघा बारानी ग्राम कोटकासिम में बलवीर, कबूलचन्द, पप्पूराम, रतनलाल पुत्रान व शांति, विमला, हेमवती, सरोज पुत्रीयान जंगलीराम कौम माली नि. हेड साबिकदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।
निर्णय आज दिनांक 26.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर (सर्व उपस्थित सुनाया)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested